

संख्या-123/2018/1213/26-3-2018-4(358)/07टी.सी.111

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3-निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
- 4-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

विषय:- शैक्षिक सत्र-2018-19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (समूह-1,2,3 एवं 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा-11 व 12) योजनान्तर्गत मास्टर डाटावेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित संशोधित समय- सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में जैसा कि आप अवगत हैं कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत पात्र छात्र-छात्राओं को त्वरित रूप से लाभान्वित किये जाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयामों में समन्वय स्थापित कर पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने से लेकर भुगतान करने के मध्य अन्य समर्त प्रक्रियागत कार्यवाही आन-लाइन अनिवार्य कर दी गयी है।

2- इस सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या-3449/2018 रघुनन्दन सिंह महाविद्यालय व अन्य एवं इसके साथ संलग्न रिट याचिका संख्या-722/2018 श्री जगदेव सिंह, महाविद्यालय बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-4660/2018 श्री हरद्वारीलाल महिला महाविद्यालय बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-02-2018 द्वारा प्रतिवर्ष 31 दिसंबर तक छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान किये जाने के आदेश दिये गये हैं आदेश का अंश निम्नवत है :-

On a close scrutiny of the issue at hand in the light of order passed by this

Court on 5.2.2018 in Writ Petition No. 3449 (MS) of 2018, the Principal Secretary has assured that the State Government looking to the kind of complications that have arisen before this Court, has proposed the reimbursement of annual fee/examination fee, as the case may be, well in advance in two phases. The Principal Secretary has tentatively projected deadline of 30th October of every year for the purpose of transfer of annual fee through Direct Benefit Transfer (DBT) process whereas the examination fee is 2 assured to be transferred through the same very process on or before the 31st of December of every year.

This would mitigate the inflow of litigations insofar as the payment of annual fee as well as examination fee to the beneficiary students of the respective Colleges is concerned.

This Court at this stage expects and hopes that a mechanism shall be evolved promptly and positively before the end of March, 2018. Insofar as the current session, of which examinations are to commence from March, 2017 is

कृ. समर्पण DD / DSWS
नि. 1 व अन्य
को अंगठी समाप्त
पर के प्रभार स्पष्ट
हेतु प्रकार
प्रस्तुत है।
02/5/2018

सिद्धाध न.
लालननि अधिकारी नोव

concerned, it is assured by the Principal Secretary that necessary payment shall be credited to the bank accounts of the beneficiaries through DBT process not later than a period of three weeks from today. Once the transfer is made, the interest of the college concerned for realization of the said amount, for the purpose of reimbursement to the University, shall stand duly protected.

The situation as it exists on date is that the forms of the students have been uploaded on the web portal but have not been received by the University due to non-payment of examination fee. Since the examination dates are approaching fast, as such, in exercise of discretionary power, for dealing with the matters at hand, it is provided that the petitioners 3 shall forward complete forms of every student through on-line process and the payment towards examination fee so made in relation to the Scheduled Caste category students may be realised by the Colleges from the concerned beneficiaries. The petitioner colleges shall, however, bear late fee of Rs. 100/- which is quantified for the current session. This exercise shall be concluded within the shortest period and in any case within a period of ten days from today.

This order having been passed in the peculiar facts and circumstances of the matters at hand, would not constitute a precedence for claiming any refund of the late fee deposited by the Colleges, if any, in excess of Rs. 100/. Sri Savitra Vardhan Singh, learned counsel for the University shall communicate this order to the University without any delay and the same shall be complied with by all concerned parties without insisting for a certified copy thereof, pending its availability.

With the aforesaid observations/directions, all the writ petitions are disposed of finally.

3— मा० उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के कम में निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक—05/स0क०/शिक्षा—अ/1/103/दश०समयसा०/ 2018—19, दिनांक—02.04.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (समूह—1,2,3 एवं 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा—11 व 12) योजनान्तर्गत मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु प्रस्तावित समय—सारिणी निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4— मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० सरकार द्वारा घोषणा की गयी है कि प्रत्येक जनपद में मा० प्रभारी मंत्री/जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रतिवर्ष 02 अक्टूबर व 26 जनवरी को छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह पूर्वक कार्यक्रम आयोजित किया जाय। मा० उच्च न्यायालय ने उक्त याचिकान्तर्गत छात्रवृत्ति का वितरण दो किश्तों में दिये जाने के आदेश पारित किये हैं। मा० उच्च न्यायालय तथा मा० मुख्यमंत्री जी उ०प्र० के आदेशों के अनुपालन में निदेशालय के पत्र दिनांक 02—04—2018 द्वारा प्रस्तावित समय सारिणी को निरस्त करते हुये निम्नलिखित विवरण के अनुसार संशोधित समय सारिणी का प्रस्ताव निम्नवत है :—

| | | |
|--------|---|--|
| क ० | प्रक्रियात्मक कार्यवाही | कार्यवाही की प्रस्तावित समयावधि कक्षा 11—12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर (अन्य प्रदेशों में) स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा गारंटर डाटा बेस में सम्भिलित होने के सिथे आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी/योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पारावर्ड प्राप्त करना (नवीन सम्भाये) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण राजनाये भरकर/अपलोड करके | 01 जून 2018 से 30 जुलाई 2018 तक |

| | | |
|---|--|---|
| | लिंजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। | |
| 2 | सम्बन्धित विद्यालय एवं अन्य अफलियेटिंग एजेंसी के गोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीकाक (कक्षा 11-12 छेत्र) द्वारा शिक्षण संरक्षा, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना एवं परीक्षा परिणाम लागिन में यथा स्थान अपलोड करना। | 31 जूलाई 2018 से 30 अगस्त 2018 तक |
| 3 | योजनाधिकारी, वाहय प्रदेश भारतीति (अन्य पदेशों में स्थित संस्थानों छेत्र) एवं जिला सामाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संरक्षणों के प्रकार एवं फीस का विवरण आगलाईन लाक किया जाना। | 31 अगस्त 2018 से 30 सितम्बर 2018 तक |
| दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति -राष्ट्र 1, 2, 3 य 4 से सम्बन्धितआठक्रम एवं कक्षा 11-12 के छात्रों छेत्र | | |
| 4 | छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना। | 01 जूलाई से 31 अगस्त 2018 तक |
| 5 | छात्र द्वारा किये गये आगलाईन आवेदन में हुई तुरियों (टाइप्सकूल, इंटरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का कमाक तथा आवेदन का कमाक एवं आय तथा आधार नम्बर) को साप्तीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेवशन में प्रदानीत किया जाना। | छात्र द्वारा आगलाईन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसी में। |
| 6 | ऑनलाईन आवेदन पत्र की हाई कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वाइल्ड राल्मनकों सहित शिक्षण संरक्षा में जमा किया जाना। | आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर, विलम्बतम 06 सितम्बर 2018 तक |
| 7 | छात्र/छात्रा द्वारा आगलाईन आवेदन पत्र की हाईकापी एवं सलामन अग्निलेखों से छात्र/छात्रा के राग्रस्त विवरण का शिक्षण संरक्षण द्वारा भिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अयसारित करना। | 02 जूलाई से 12 सितम्बर 2018 तक |
| 8 | छात्र द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संरक्षण द्वारा आगलाईन छात्र के सम्बुद्ध अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा ठीक बनाकर संरक्षा एवं छात्रों का भीतिक सत्यापन किया जाना। | 13 सितम्बर से 15 नवम्बर 2018 तक |
| 9 | जिला विद्यालय निरीकाक (कक्षा 11-12 छेत्र) एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी द्वारा संरक्षा की गान्धीता, वारताविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना। | 18 सितम्बर 2018 तक |
| 10 | PFMS साफ्टवेयर से सत्याप्तोपरान्त डाटा वापरा प्राप्त किया जाना, आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राप्तिकरण (UIDAI) से सत्यापन किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न विन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। (नवीनीकरण (Renewal) के छात्रों के लिये) | 13 सितम्बर से 20 सितम्बर 2018 तक |
| 11 | जनपदीय छात्रवृत्ति स्ट्रीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्ट्रीकृत करना (नवीनीकरण (Renewal) के छात्रों के लिये)। | 24 सितम्बर 2018 तक |
| 12 | जनपद रसीदीय विभागीय अधिकारी के लिंजिटल सिमेन्चर से शुद्ध डाटा एवं स्ट्रीकृत डाटा लॉक किया जाना (नवीनीकरण (Renewal) के छात्रों के लिये)। | 26 सितम्बर 2018 तक |
| 13 | जनपद रसीदीय विभागीय अधिकारी के लिंजिटल सिमेन्चर से लॉक डाटा के आधारपर नवीनीकरण (Renewal) के छात्रों का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से गैंग गुजित करना। | 28 सितम्बर 2018 तक |
| 14 | जनपद रसीदीय विभागीय अधिकारी के लिंजिटल सिमेन्चर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के छात्रों को कोपागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के गान्धीत से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया | 01 अक्टूबर 2018 तक |

| | | |
|----|---|--|
| 15 | जाना। प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह/कार्यक्रम आयोजित करना। | 02 अक्टूबर 2018 को कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के नवीन (Fresh) एवं अवशेष नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु |
| 16 | PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना, आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से सत्यापन किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न विन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। | 13 सितम्बर से 20 अक्टूबर 2018 तक |
| 17 | जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सही डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत एवं डिजिटल सिग्नेचर से सही डाटा लाक किया जाना। | 30 अक्टूबर 2018 तक |
| 18 | सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागि प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आगलाइन सबमिट किया जाना। | 21 अक्टूबर 2018 से 01 नवम्बर 2018 तक |
| 19 | ऑनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्ड कार्पी छात्र/छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। | आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 04 नवम्बर 2018 तक |
| 20 | छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकार्पी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना। | 22 अक्टूबर 2018 से 07 नवम्बर 2018 तक |
| 21 | छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित विन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना। | 08 नवम्बर 2018 से 22 नवम्बर 2018 तक |
| 22 | जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा से अलग शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना। | 28 नवम्बर 2018 तक |
| 23 | जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना। | 15 दिसम्बर 2018 तक |
| 24 | जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सूजित कराना। | 20 दिसम्बर 2018 तक |
| 25 | जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना। | 31 दिसम्बर 2018 तक |
| 26 | प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह/कार्यक्रम आयोजित करना। | 26 जनवरी 2019 को |

5— अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों एवं उपरोक्त समय-सारिणी के अनुसार शैक्षिक सत्र 2018-19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।


भवदीय
Q ee ✓
 (राजीव कुमार)
 मुख्य सचिव।

पृ०सं०-१ ता० 2018 / 1213 (1) / 26-३-2018 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा०शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र०शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ०प्र०लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०लखनऊ।
- 7- कुल सचिव, अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 11- गार्ड फाईल।

आङ्गा से,


(रवि शंकर मिश्र)

अनु सचिव।


निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

संख्या ५५५ / स०क०/शिक्षा-अ/ 2018-19

लखनऊ : दिनांक, ०३ मई 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, उ०प्र०शासन, समाज कल्याण विभाग।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त उ०प्र०।
- 3- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उ०प्र०।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी/वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र(राज्य इकाई), योजना भवन, लखनऊ।
- 6- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण उ०प्र०।
- 7- उप निदेशक, अनुसूचित जनजाति विभाग उ०प्र०।
- 8- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र०।


(पी०क०त्रिपाठी)

उप निदेशक,
कृते निदेशक